

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1983

(दिनांक : 4.3.2003 को उत्तर के लिए)

भारतीय भाषा

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय

क्या उप प्रधान मंत्री भारतीय भाषा के बारे में 19.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4659 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

गृह राज्य मंत्री (श्री आई.डी.स्वामी)

- (क) आम आदमी हेतु व्यापक उपयोग के लिए हिन्दी में तीन स्क्रान्ट-उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण हैं जबकि अन्य भारतीय भाषाओं में केवल एक स्क्रान्ट-उपलब्ध कराया गया है और हिन्दी के अन्य तीनों स्क्रान्टों- के संबंध में ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी के केवल एक स्क्रान्ट- को मान्यता प्रदान करेगी ताकि हिन्दी में कार्य कर रहे व्यक्तियों को सर्वत्र एकरूपता प्राप्त हो सके; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
- (क) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसा प्रारम्भिक स्तर पर किया है परन्तु जन अनुक्षेत्र में अधिक से अधिक फोन्टों का होना इलेक्ट्रानिक सार सृजन के लिए अभीष्ट है। हिंदी के तीन फान्ट डीवी-टीटी योगेश, डीवी-टीटी गणेश तथा डीवी-टीटी सुरेख हैं।
- (ख) तथा (ग) इन्डियन स्क्रिप्ट कोड फार इन्फारमेशन इन्टरचेंज (इस्की) आन्तरिक संग्रहण के लिए मानक है। यह एकरूपता निश्चित करती है भले ही फोन्ट्स में विविधता हो।